न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 85 / 2025(GCMS 2025/362)
(RTI No.: 212668199767445)

अशोक कुमार ग्राम चेलियां पोस्ट ऑफिस नढ़ोली, तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पिन– 176225 (मोबाईल नम्बर 98160–53779)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अशोक कुमार स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अशोक कुमार ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2025 से **छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी,** जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अशोक कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 29.08.2028 से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

Certified copy of the Mokka Report and other land records related to the allotment of land to Garib Dass, Pong Dam oustee, in Plot No. 16A and Murabba No. 302/452, situated in District Sri Ganganagar subdivision Anupgarh I need Full details of the first allotment made to Garib Dass:

1. Date of allotment:
2. Total area and type of land (agricultural/residential)
3. Certified copy of the Allotment Order / Patta
4. Certified copies of Field survey reports, Jamabandi, Girdawari, Nakal, maps, or any relevant land records
5. File Notes/ correspondence objections (if any)
6. Current legal status of the land:
   - 6.1. Name of the owner in the current land records: Garib Dass or his legal heirs / someone else / acquired by government
   - 6.2. Status of land: Valid Acquired/Cancelled/ Transferred/ Mutated
   - 6.3. Certified copies of: Mutation Order / Cancellation Order / Re-allotment Acquisition details,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:25 IST
Reason: SelfAttested

इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक [illegible]20 दिनांक 06.10.2025 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप[illegible] अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिख[illegible] इस कार्यालय के प[illegible] 3444दिनांक 31.10.2025(**स्मरण पत्र–1**) एवं 153 दिनां[illegible]2.01.2026 (**स्मरण पत्र–2**) **से** अपीलार्थी की अपील पर टिप्पणी भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार – 85/2025
(GCMS No. 2025/362)
(RTI No. 212668199767445)
अशोक कुमार बनाम एसडीओ, अनूपगढ़

द्वारा अपील का कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही?, ज्ञात नहीं होता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर, अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। [illegible]द तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:25 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर